UPBS120005122024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद स्थान– बस्ती
पीठासीन अधिकारी– (सुश्री स्नेहिल श्रीवास्तव)

उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP04624

मूलवाद संख्या–410/2024
उमेश चौधरी आदि बनाम राम अनुज मिश्र

<u>05.02.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। उभय पक्षों से यह प्रश्न किया कि क्या वे अपने विवाद का निस्तारण लोक अदालत, मध्यस्थतम्, मध्यस्थता अथवा सुलह के माध्यम से कराना चाहते हैं। जिसपर पक्षकारों ने नकारात्मक जवाब दिया तथा इसी न्यायालय के माध्यम से अपने विवाद का निस्तारण कराने की इच्छा प्रकट की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को वाद बिन्दु विरचित करने के प्रश्न पर सुना तथा उभय पक्षों के अभिकथनों व प्रपत्रों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दुओं का विरचन किया गया:–

1–क्या वादीगण वादपत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर दस्तावेज बैनामा दिनांकित– 05.03.2024 जिसकी रजिस्ट्री पुस्तक सं०–1 के खंड सं०–2686 के पृष्ठ सं० 357–368/पुस्तक सं०–1 के जिल्द सं०–2342 के पृष्ठ सं० 55–56 पर क्रम सं०–699 पर दर्ज है, को मंसूख करा पाने के अधिकारी हैं?

2– क्या वादीगण वादपत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर विवादित भूमि गाटा सं०–123 मि० रकबा 1–10–0 धुर तद्नुसार रकबा 0.3800 हे० पर काबिज दखील है एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

3– क्या दावा वादीगण अल्प मूल्यांकित है ?

4– क्या दावा वादीगण विबन्धन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धान्त से बाधित है?

5– क्या दावा वादीगण 331 यूपी 2A से बाधित है?

6– क्या दावा वादीगण काल बाधित है?

7– क्या वादीगण कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अलावा न्यायालय के विचार से अन्य कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है और न ही किसी पक्ष द्वारा किसी अन्य वाद विन्दु के विरचन हेतु बल ही दिया गया है। उभय पक्ष अंदर 7 दिवस साक्षियों की सूची दाखिल करें। पत्रावली वास्ते सुनवाई व निस्तारण वाद बिन्दु सं०–3 दिनांक 23.03.2026 को पेश हो।

(स्नेहिल श्रीवास्तव)
सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद
स्थान–बस्ती।